न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 07/2018

अनवान :

1. पुनीत पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये नाना रामकुमार पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी कुसुंम्भी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

- प्रार्थी

बनाम

1. मु0सन्ती पत्नी स्व0 बुधराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

दरख्वास्त बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रार्थी**

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय दिनांकः 21.5.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा खचवाना के चक नं0 4 डीपीएन के खाता सं0 90/94 के मु0नं0 19 के किला नं0 6 ता 19 की कुल 3.5420 है0 कृषि भूमि है व चक 3 डीपीएन के खाता सं0 92/86 के मु0नं0 1 के किला नं0 19 ता 22 मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 16 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 25 की कुल 9.6393 है0 कृषि भूमि में सायल का 140 हिस्सा व चक 3 डीपीएन की कृषि भूमि में सायल का 190–1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल सं0 1 सायल की दादी है जो काफी वृद्ध व बीमार रहती है, जिसको जबरदस्ती उसके दामाद व उसकी पुत्री अपने पास ले गये एवं वे लालचवंश गैरसायल सं0 1 पर दबाब बनाये हुए है कि वह सायल पुनीत कुमार के हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ले व उक्त विवादित भूमि पर जबरदस्ती काबिज हो जाए जबकि सायल के नाम विवादित भूमि उसके पिता कुलदीप सिंह ने अपने जीवनकाल में ही सायल व गैरसायल सं0 2 को दे दी थी व गैरसायल सं0 1 ने भी अपने सहमति दे दी थी, परन्तु गैरसायल संख्या 1 अपनी पुत्री व दामाद के दबाब व बहकावे में आकर सायल का हिस्सा हड़प करने की गरज से उक्त भूमि जबरदस्ती दबाब बनाकर अपने नाम करवाने व सायल के हिस्से की भूमि उसे बेदखल करने पर तुले हुए है। गैरसायल संख्या 1 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वह राजस्व रिकार्ड में भी किसी श्रेणी की टिनेन्ट दर्ज नहीं है व न ही वाद भूमि के किसी भी भाग में उसका कब्जा है। यदि गैरसायल सं0 1 सायल को उसके हिस्से की भूमि से महरूम कर देती है तो सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। सायल के हिस्से की भूमि पर उसकी सरसों व गेहूं की फसल खड़ी है, यदि ये लोग जबरदस्ती सायल के कब्जा काश्त में दखल देगें तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरास्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 की जबाबदेही बन्द की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि मेरे नाम पर है, नामान्तरकरण मेरे नाम पर है, बुधराम का पोता पुनित, कुलदीप की माता दावा को उलझा रही है, वह स्वयं को कुलदीप की प्रथम श्रैणी की उत्तराधिकारी मान रही है व कुलदीप की मृत्यु के पश्चात भूमि में 1/3 हिस्सा मांग रही है। कुलदीप की मृत्यु के बाद भूमि संतोष व नाबालिग पुनीत के नाम दर्ज हो गई। सन्तोष व सन्ती आपस में सास–बहू है तथा दोनों विधवा है। सन्ती काफी उम्रदराज है व ढाणी में रहती है। सन्ती के बेटिया है व उसे बरगलाती है। उम्र स्थिति, स्वास्थ्य के आधार पर बेटिया उसे अपने पास ले गई। मेरे नाम जो म्युटेसन था उसकी अपील हुई। 2006 में एक दावा न्यायालय हाजा में किया गया।2006 का दावा 88 व 188 का था। उक्त दावा 25/1/11 को तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 में खारिज हेा गया। इस दावा की कोई अपील नहीं की गई। जब कोई दावा उतराधिकार सम्बन्धी खारिज हो जाए भले ही कैसे ही खारिज हो जाये उसे वादी के हकों की घोषणा सकारात्मक, नकारात्मक माना जाएगा। जब इन्होने अपने मूल हक की घोषणा नहीं करवाई तो इन्हे हक मांगने का अधिकार नहीं है। जब तक हकों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन्हे वादभूमि में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जब पुनीत की माता जीवित है तो उसका नाना वादमित्र क्यों ? म्युटेसन 2001 में पुनीत के नाम तो 2018 में पुनीत बालिग कैसे नहीं हुआ। यदि पुनीत बालिग तो उसके नाना ने दावा क्यों किया। स्वयं पुनीत ने दावा क्यों नहीं किया। ये खुद सन्ती को कुलदीप की प्रथम श्रैणी वारिस है, यह स्वीकृत तथ्य है तो इस पर कोई विवाद नहीं। मैने इस कोर्ट में विरासतन इंतकाल की अपील इस कोर्ट में की। इस कोर्ट ने आदेश 21.06.2003 को संती के पक्ष में किया। संभागीय आयुक्त 2008 में इनकी अपील खारिज कर दी। रेवेन्यु बोर्ड ने भी इनकी अपील 02.05.18 को खारिज कर दी व उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के फैसले को बहाल रखा। अब इस कोर्ट के आदेश की पालना होनी है जिसे ये रोकना चाहते है। जब मैं रिकार्ड पर खातेदार काश्तकार ही नहीं हूं तब तक मेरे खिलाफ रिकार्ड की कैसी यथास्थिति। वादी/प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यों को छुपाया है। 2006 वाले दावे में कोई तनकी, साक्ष्य नहीं हुए जो बहस के कथन या दावा सम्बन्धी तथ्य इस कोर्ट में किऐ है वे सभी बातें तथ्य रेवेन्यु बोर्ड के समक्ष पेश हो चुके है या पेश किऐ जा सकते है। रेवेन्यु बोर्ड ने फैसला कर दिया है अब इस न्यायालय के आदेश की पालना रोकने हेतु यह दावा टीआई पेश की गई है।

बहस वकुलाए फरिकेन पर मनन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की वादभूमि के सम्बन्ध में दिनांक 12.12.01 के इन्तकाल के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील का निर्णय 21.06.03 को प्रतिवादीया के पक्ष में हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में प्रार्थीगण द्वारा की गई अपील निर्णय दिनांक 22.12.08 को खारिज फरमा कर दिनांक 21.06.03 का निर्णय यथावत् रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थीगण द्वारा की गई अपील का निर्णय दिनांक 02.05.18 को किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय दिनांक 21.06.03 व माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 22.12.08) की पुष्टि की गई। न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी भादरा ने अपने निर्णय दिनांक 21.06.03 में इंतकाल सं0 12.12.01 को निरस्त कर प्रतिवादिया सं0 1 को वादभूमि में 1/3

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया गया था उक्त निर्णय की दोनों वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा यथावत्/पुष्टि की जा चुकी है। प्रतिवादीया द्वारा दायर वाद 115/06 दिनांक 25.01.11 को तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज फरमा दिया गया था। उक्त वाद में न तो तनकी विरचित हुई न ही कोई निर्णय हुआ। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने भी घोषणात्मक वाद लम्बित होने के तथ्य का अपने निर्णय में विवेचन किया है, फिर भी न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.12.01 की पुष्टि की है।

प्रथम दृष्टया मामला : हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त में दखलन्दाजी के संदर्भ में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति की मांग की है अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी की भूमि हड़पने व उसकी फसल नष्ट करने सम्बन्धी तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा काश्त फसल के नुकसान का प्रश्न है तो रबी की काश्त फसल गेहूं व चना की मई माह तंक कटाई हो चुकी होती है, अत : काश्त फसल के नुकसान की कोई संभावना नहीं है। स्वयं अप्रार्थीया को वादभूमि में हक हिस्सा न्यायालयों के निर्णय से प्राप्त होना है। इस प्रकार किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया अधिकार वर्तमान परिस्थिति में अप्रार्थीया का है रिकार्ड की यथास्थिति से प्रार्थीया के हक पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति : रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रहने से अप्रार्थीया को उसके पक्ष में हुए निर्णय के इन्द्राजात करवाने व अपना हक हिस्सा प्राप्त करने में असुविधा होगी। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, वह उसे प्राप्त होने वाले विधिक हक हिस्सा के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है। वादभूमि प्रार्थी के स्वयं के नाम है तो उसके रहन, बैय, खुर्द–बुर्द की ऐसी कोई संभावना नहीं है जिससे प्रार्थी को अपूरणिय क्षति हो। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

चूंकि वादभूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किए जा चुके है व उन निर्णयों की अनुपालना में वादभूमि के रिकार्ड या मौका में कोई परिवर्तन होता है तो न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त निर्णयों के विरूद्ध यदि कोई अपील भविष्य में उच्च न्यायालय में संस्थित की जाती है तो भी न्यायालय हाजा की बजाय उच्च न्यायालय में ही प्रार्थी/अप्रार्थी वादभूमि के सम्बन्ध में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है व दिनांक 16.01.2018 को न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ